[2022] 13 एस. सी. आर. 523

सुखबीरी देवी और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2010 की सिविल अपील सं. 10834)

29 सितंबर, 2022

[अजय रस्तोगी और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XIV, आर. 2 (2)-क्या

सीमा के मुद्दे को यू/या प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

XIV, आर. 2 (2)-आयोजितः हां-सीमा के मुद्दे को तैयार किया जा सकता है और प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। XIV, आर. 2 (2) (बी), सी. पी. सी. ऐसे मामले में जहां यह स्वीकृत तथ्यों पर तय किया जा सकता है-वर्तमान में

प्रारंभिक मुद्दे के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष सीमा से प्रकट प्रासंगिक तिथियों पर आधारित हैं

वादपत्रमे स्वयं वादीसभक अभिवचन-कार्यवाहीमे कोनो पक्ष द्वारा देल गेल 'कथन' स्वीकार कयल जाइत अछि आ स्वीकार कयल गेल तथ्यसभकेँ साबित करबाक आवश्यकता नहि अछि-विचारण न्यायालय द्वारा विचार करबाक तरीका जकर परिणामस्वरूप अंततः मोकदमा खारिज भऽ गेल, से पता चलैत अछि जे ओ

सीमा की अवधि के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे का निर्धारण किया वाद में अभिकथनों और खारिज करने के संदर्भ में

मुकदमा उक्त प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार था-हस्तक्षेप की गारंटी के तहत अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद

136 , 17 , 65 - साक्ष्य अधिनियम, 1872। 17 , 18 , 58 .

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-के दायरे, के खिलाफ

समवर्ती निष्कर्ष आयोजित किए गए: समवर्ती के साथ हस्तक्षेप

अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में निष्कर्ष संयम से दिए जाने चाहिए, वह भी तब जब विवादित निर्णय बिल्कुल विकृत हो।

उस पर

साक्ष्य का मूल्यांकन, दूसरे दृष्टिकोण की संभावना भी नहीं हो सकती है। लिए गए और पुष्टि किए गए एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन के लिए एक कारण हो।

कार्य और दस्तावेज-त्याग विलेख-आयोजितः

त्याग विलेख की वैधता और विचार पर विचार

उसी के संदर्भ में सीमा की अवधि अलग-अलग है और विशिष्ट।

अभ्यास और प्रक्रिया-में प्रावधान का उल्लेख न करना

आदेश-आयोजितः स्वयं किसी प्रावधान का गलत उद्धरण या गैर-उद्धरण

आदेश को तब तक खराब नहीं करेगा जब तक कि प्रासंगिक सक्षम प्रावधान हो।

अस्तित्व में है और इसे सही तरीके से लागू किया गया था, हालांकि इसके बिना

विशेष रूप से इसका उल्लेख करें। शब्द और वाक्यांश-"स्वीकृत तथ्य", "प्रवेश" चर्चा-साक्ष्य अधिनियम, 1872-एस. एस. 17 , 18 , 58 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में समवर्ती निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप किया जाना है

मितव्ययी रूप से, वह भी जब विवादित निर्णय बिल्कुल विकृत हो। साक्ष्य के मूल्यांकन पर एक और दृष्टिकोण भी संभव है जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन और पुष्टि का कारण नहीं हो सकता है। अब हम तय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या उक्त अपीलीय शक्ति आमंत्रित करती है। हाथ पर मामले में आह्वान। [पैरा 4] [530-एच; 531-ए-बी]

1.2 ' कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा दिए गए बयान स्वीकार किए जाते हैं और स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। याचिकाकर्ता नहीं कर सकते हैं

कानूनी रूप से शिकायत में अपने बयान लेने में कोई विवाद या शिकायत है जो सीमा के प्रारंभिक बिंदु को निर्धारित करने में सक्षम है सी. पी. सी. के आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी) को लागू करने के उद्देश्य से। हालाँकि, सीमा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, यह उक्त चरित्र को हटा देगा और कानून के किसी एक प्रश्न तक ही सीमित हो जाएगा जब सीमा के प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण करने वाले मूलभूत तथ्य (तथ्यों) को स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से वाद अभिकथनों में बनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में, यदि संबंधित न्यायालय की राय है कि सीमा को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में तैयार किया जा सकता है और वह उस मुद्दे के निर्धारण तक अन्य मुद्दों के समाधान को स्थगित करने का वारंट देता है, तो वह इसे एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार कर सकता है और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार ही मुकदमे से निपट सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का दृष्टिकोण कानून में अस्वीकार्य है और वास्तव में, यह पूरी तरह से उचित है।

आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी), सी. पी. सी. और ऐसी परिस्थितियों में कानूनी के तहत अनुमेय। मुद्दे की सीमा तय की जा सकती है और निर्धारित की जा सकती है आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी), सी. पी. सी. के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में एक ऐसे मामले में जहां इसे स्वीकृत तथ्यों पर तय किया जा सकता है। [पारस 17 और 18] [536-डी-जी] सुखबीरी देवी और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

1.3 सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 का अवलोकन इस निर्विवाद स्थिति को प्रकट करेगा कि यह केवल तभी लागू होता है जब

किसी सिविल न्यायालय का अनिवार्य निषेधाज्ञा) या आदेश देना है दाखिल किया जाए। तत्काल सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 को लागू करने के लिए ऐसा चरण नहीं पहुंचा था और इसमें शामिल प्रश्न केवल कथित कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए समय प्रतिबंध से संबंधित है। उक्त में

परिस्थितियों में, अपरिहार्य निष्कर्ष केवल यह हो सकता है कि अनुच्छेद 136 को मामले में कोई आवेदन नहीं मिला और इस तरह अपीलार्थी 12 साल की सीमा की बड़ी अवधि के लिए दावा नहीं कर सकते थे। [पारस 19-21] [538-F-H; 539-A] 1.4 सीमा के प्रारंभिक मुद्दे के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष वाद में ही वादियों के अभिवचनों से प्रकट प्रासंगिक तिथियों पर आधारित हैं। यह सच है कि वाद में बार-बार यह आरोप लगाया गया है कि

लेकिन फिर शिकायत का दावा यह है कि उनके पूर्ववर्ती श्री 'एन. एस.' को उक्त के उपयोग के बारे में पता चलने पर त्याग विलेख ने अधिकारियों के लिए 05.04.1991 पर एक आपत्ति को प्राथमिकता दी थी, जिसके तहत उन्होंने न केवल इसके लिए अनुरोध किया था

रद्द करना लेकिन 5 वें प्रत्यर्थी के अनन्य नाम पर वैकल्पिक भूखंड का आवंटन जारी करने से उन्हें रोकने के लिए धोखाधड़ी करके प्राप्ति के आधार पर भी। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि श्री 'एन. एस.' की मृत्यु के बाद 14.05.1993 पर किए गए वाद अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए मूल प्रथम वादी, जो कोई और नहीं बल्कि श्री 'एन. एस.' के पुत्रों में से एक है, ने अपने पिता द्वारा उठाई गई आपत्ति की तर्ज पर अभ्यावेदन दायर किए। भले ही त्याग विलेख की तारीख का उल्लेख न करने को उद्देश्यपूर्ण नहीं माना जाता है जो इसलिए वादी को उक्त त्याग विलेख के खिलाफ मुकदमा लाने के लिए सीमा के प्रश्न पर अपरिहार्य, प्रतिकूल निष्कर्ष से नहीं बचा सकता है और न ही बचा सकता है। जाहिर है, 2000 का मुकदमा No.410 केवल 14.06.2000 पर दायर किया गया था। इस प्रकार, वाद अभिकथनों से यह बहुत स्पष्ट है कि त्याग विलेख 5 वें प्रत्यर्थी (08.03.1991) को सूचना पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती है और जाहिर है, इसके खिलाफ आपत्ति की तारीख को सबसे पहले मृतक 'एन. एस.' द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। , 05.04.1991 . जाहिर है, उपरोक्त दो तिथियां विशेष रूप से [2022] 13 एस. सी. आर.

वाद में उल्लिखित को विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रश्न पर विचार करने के मामले में ध्यान में रखा गया था कि क्या वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचार करने का तरीका, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मुकदमा खारिज कर दिया गया, जैसा कि पहले कहा गया है, यह प्रकट करेगा कि उसने संदर्भ के साथ सीमा की अवधि के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे का निर्धारण किया था।

अभियोग में अभिकथनों के लिए। मुकदमे को खारिज करना उक्त प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार था। [पैरा 22] [539 - बी-एच]

1.5 प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर आते हुए, जिसके द्वारा उसने वादियों की अपीलों को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की, यह स्पष्ट है कि उसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्क थे

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को सही ढंग से उजागर किया कि सीमा के प्रश्न पर त्याग विलेख की वैधता के संदर्भ में विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विशिष्ट आरोप लगाने के बावजूद कि त्याग विलेख 5 वीं द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

प्रतिवादी, वादी ने हमला करने और माँग करने का विकल्प नहीं चुना था इसे अलग रखा जाता है। 05.04.1991 पर अधिकारियों के समक्ष त्याग विलेख को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग करने के बाद भी पूर्ववर्ती ने अपने कार्यकाल के दौरान एक सक्षम दीवानी अदालत से संपर्क करके इसे अलग करने का विकल्प नहीं चुना था।

जीवन भर। 14.05.1993 पर उनकी मृत्यु के बाद, हालांकि इसे अलग करने की मांग के लिए सीमा की अवधि गिरफ्तार नहीं की गई और 'NS' के स्थान पर कदम रखने वाले वादियों के खिलाफ भाग लिया, उनमें से कोई भी सीमा की अवधि के भीतर दीवानी अदालत में जाकर इसे अलग करने की कोशिश नहीं करता है। इस अपील में दलीलें और आगे दी गई दलीलें यह दर्शाती हैं कि आज तक इस तरह की प्रार्थना के साथ कोई सक्षम नहीं है। दीवानी अदालत को मूल वादियों और इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा भी स्थानांतरित किया गया था। संक्षेप में, एक उचित कार्यवाही में उचित अनुरोध करके उक्त त्याग विलेख की वैधता के खिलाफ किसी भी सफल चुनौती के अभाव में, और वह भी सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष और निष्कर्ष को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विकृत या अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि त्याग विलेख की वैधता पर विचार सुखबीरी देवी और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

और संदर्भ के साथ सीमा की अवधि का विचार एक ही अलग और अलग हैं। [पैरा 23] [540-ए-जी]

1.6 उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के खिलाफ चुनौती यह है कि उसने पहली अदालत के समवर्ती फैसलों की पुष्टि करते हुए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 को गलत तरीके से लागू किया।

घोषणाएँ और इस प्रकार, मुकदमे की प्रकृति को घोषणात्मक बना दिया। यह स्थिति निर्विवाद है। यह सच है कि निचली अदालत ने हालांकि राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीमा की अवधि को तीन साल के रूप में पाया, लेकिन उसने अपने फैसले में प्रासंगिक प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी प्रावधान का गलत उद्धरण या गैर-उद्धरण अपने आप में किसी आदेश को बुरा नहीं बनाएगा जब तक कि प्रासंगिक सक्षम प्रावधान मौजूद है और इसे सही तरीके से लागू किया गया था, हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख किए बिना। उच्च न्यायालय ने मुकदमे की प्रकृति पर विचार करने पर केवल सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक, लागू प्रावधान का उल्लेख किया था और शिकायत में राहत मांगी गई। समवर्ती स्थिति बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में कोई विकृति या अवैधता नहीं है।

यह मानते हुए कि उक्त प्रार्थना केवल तभी दी जाती है जब पहली प्रार्थना दी जाती है। इस मामले में निर्धारण के आधार पर सीमा का प्रारंभिक मुद्दा और उस प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था। आदेश XIV नियम 2 (1) और नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रावधानों पर निर्णय के अनुसार एक मुकदमे से निपटने और निपटान करने की अनुमति देते हैं

प्रारंभिक मुद्दा। प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष की प्रकृति और परिणामी [2022] 13 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए।

आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के संदर्भ में मुकदमे पर विचार करना और इस तथ्य पर ध्यान देना कि मुकदमे के बाद ऐसा नहीं होता है

इस बात पर विचार करते हुए कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए निर्णयों के आधार पर आदेश VII नियम 11 के संदर्भ में उनके तर्क पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 17 और 65 पर आधारित अपीलार्थियों की दलीलें भी महत्वहीन हो जाएंगी और परिस्थितियों में इस पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। वारंट के तहत अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के आह्वान में हस्तक्षेप। [पैरा 26,27] [541-एफ-एच; 542-ए-सी]

नुस्ली नेविल वाडिया बनाम। आइवरी प्रॉपर्टीज (2020) 6 एससीसी

557 [2019] 15 एस. सी. आर. 795; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम रतनानी (2009) 2 एस. सी. सी. 75: [2008] 17 एस. सी. आर. 1251; रंगनायकम्मा और अन्र। वी. एल. आर. द्वारा के. एस. प्रकाश (मृत) & ओआरएस। (2008) 15 एससीसी 673: [2008] 9 एस. सी. आर. 297 और विमल चंद घेवरचंद जैन और अन्य। वी. रमाकान्त एकनाथ जादू (2009) 5 एस. सी. सी. 713; राजस्थान राज्य बनाम।

शिव दयाल (2019) 8 एससीसी 637: [2019] 10 एस. सी. आर. 243-पर निर्भर।

सी. नटराजन बनाम असीम बाई और अन्र। (2007) 14 एससीसी 183: [2007] 11 एस. सी. आर. 33; पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम। भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (2005) 7 एस. सी. सी. 510: [2005] 2 पूरक। एससीआर 1030; दया सिंह और अन्र। वी. एल. आर. द्वारा बलदेव सिंह (मृत)। & ओआरएस। (2010) 2 एस. सी. सी. 194; माउंट। बोलो वी। माउंट। कोकलान (2010) 2 एस. सी. सी. 194: [2010] 1 एससीआर 194;

एमएस. रुखमाबाई बनाम। लाला लक्ष्मीनारायण [1960] 2 एस. सी. आर. 253; मोंगिन रियल्टी एंड बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड बनाम। माणिक सेठी 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 156; बीकोबा देवड़ा गायकवाड़ और अन्य। वी. हीराबाई मरुतिराव घोरगरे और अन्य। (2008) 8 एससीसी 198: [2008] 9 एस. सी. आर. 1038; नरिंदर कौर और अन्र। वी. अमर जीत सिंह सेठी और अन्र। 2000 III ए. डी. (दिल्ली), 599; मेसर्स क्रिसेंट पेट्रोलियम लिमिटेड v. एम. वी.

मोंचेगोर्स्क और ओआरएस। ए. आई. आर. 2000 बॉम्बे 161-संदर्भित

को।

सुखबीरी देवी और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 10 एससीआर 243

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2007] 11 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2005] 2 पूरक। एससीआर 1030

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2010] 1 एससीआर 194

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1960] 2 एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2019] 15 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2008] 17 एससीआर 1251

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[2008] 9 एससीआर 297

उस पर भरोसा करें

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 10834

2010 .

उच्च न्यायालय के 25.08.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 के आर. एस. ए. सं. 79 में नई दिल्ली में।

अरविंद कुमार, चिरंजीव जौहरी, श्रीमती लक्ष्मी अरविंद, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

अनुपम लाल दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनिरुद्ध सिंह, कृष्णू बरुआ,

राहुल प्रताप, अनीश कुमार गुप्ता, सुश्री अर्चना प्रीति गुप्ता, जी. एस. मक्कर, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री बीनू टम्टा, ध्रुव टम्टा, प्रदीप कुमार माथुर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आर. एस. ए. No.79/2007 दिनांक 25.08.2009 में आदेश। अपीलार्थी सिविल जज, दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश की अध्यक्षता में अदालत की फाइल पर 2000 के सूट No.410 में वादी थे।

(इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित), मुख्य रूप से 5 वें प्रत्यर्थी के खिलाफ राहत की मांग करते हुए दायर किया गया। निचली अदालत ने सीमा के सवाल पर एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया, जाहिर है, यह राय बनाने पर कि कानून के मुद्दे पर मामले का निपटारा किया जा सकता है और यह अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित करने की गारंटी देता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमे से निपटा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तदनुसार, निचली अदालत ने एक प्रारंभिक प्रश्न तैयार किया कि "क्या मुकदमा सीमा के भीतर है"। नकारात्मक में उसी का जवाब देने पर, उक्त निर्णय के अनुसार, मुकदमा खारिज कर दिया गया था

निर्णय दिनांकित 13.05.2005। प्रतिवादियों ने दिल्ली के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत के समक्ष उक्त फैसले और फरमान को चुनौती दी (जिसे इसके बाद 'प्रथम न्यायाधीश' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

अपीलीय न्यायालय ') सिविल अपील No.99/2005 में और इसने अपील को खारिज कर दिया और दिनांक 08.12.2006 के फैसले के अनुसार ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री की पुष्टि की। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में मामले को उठाया। दिनांक 25.08.2009 के विवादित फैसले के अनुसार उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और अपीलार्थियों के खिलाफ कानून के सवाल का जवाब देने वाली अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के बताए गए फैसले के खिलाफ दायर 2009 की विशेष अनुमति याचिका (आईडी1) में अनुमति दी गई थी और इस दीवानी अपील में, प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

2. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

3. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस अपील में चुनौती तीन न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील का दायरा

समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ भारत का संविधान अच्छी तरह से स्थापित है। राजस्थान राज्य बनाम शिव दयाल 1 में तय स्थिति को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष बाध्यकारी है, जब तक कि यह विकृति से संक्रमित न हो। यह वहाँ आयोजित किया गया थाः

" जब दूसरी अपील में तथ्य के किसी भी समवर्ती निष्कर्ष पर हमला किया जाता है, तो अपीलकर्ता को यह इंगित करने का अधिकार होता है कि यह कानूनी रूप से गलत है क्योंकि इसे दलीलों के आधार पर दर्ज किया गया था या यह किसी सबूत पर आधारित नहीं था या यह भौतिक दस्तावेजी साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित था या इसे कानून के किसी भी प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था और अंत में, निर्णय वह है जिस पर कोई भी न्यायाधीश न्यायिक रूप से कार्य करना उचित रूप से नहीं कर सकता था। (विद्वान न्यायाधीश विवियन बोस, जे. द्वारा की गई टिप्पणी देखें क्योंकि उनके स्वामी उस समय राजेश्वर विश्वनाथ मामिदवार और अन्य में नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। बनाम दशरथ नारायण चिलवेलकर और अन्य। , ए. आई. आर. 1943 नागपुर 117 पैरा 43) "।

4. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, तय स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप है

1 (2019) 8 एससीसी 637।

इसे संयम से किया जाना चाहिए, वह भी तब जब विवादित निर्णय पूरी तरह से विकृत हो। साक्ष्य के मूल्यांकन पर एक और दृष्टिकोण भी संभव है। लिए गए और पुष्टि किए गए प्रशंसनीय दृष्टिकोण के प्रतिस्थापन का कारण नहीं हो सकता है। अब हम तय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या उक्त अपीलीय शक्ति मामले में आह्वान आमंत्रित करती है।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचार करने के लिए केवल मामले में शामिल तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ देना उचित है।

अभियोग में अभिकथनों से प्रकट किया गया। अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्ती, अर्थात। , श्री राम नंद, दिल्ली के गाँव नारायणा में स्थित कुछ हद तक कृषि भूमि के भूमीदार थे। कृषि भूमि के उक्त भूखंड का अधिग्रहण किया गया था और 09.01.1976 पर इसके अधिग्रहण के संबंध में पुरस्कार संख्या 19/75-76 पारित किया गया था। इसके बाद, राम नंद की मृत्यु हो गई, वे अपने पीछे अपनी विधवा, दो बेटे-नाहर सिंह और धन सिंह और चार बेटियां-श्रीमती को छोड़ गए। शकुंतला देवी, श्रीमती. कृष्णा देवी, श्रीमती. पार्वती देवी और श्रीमती. संतोष। बाद में श्री रामानंद की विधवा की भी मृत्यु हो गई। नीति के अनुसार, जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था, भूमिदार अधिग्रहित भूमि के बदले वैकल्पिक आवासीय भूखंड के आवंटन का हकदार था। बाद में, प्रतिवादी संख्या द्वारा वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया गया था। 1 4 धन सिंह के अनन्य नाम पर, उनके उत्पादन पर

पत्र संख्या एफ-31 (11)/8/87/एल एंड बी/एएलटी/8226 दिनांक 08.03.1991 के अनुसार पंजीकृत त्याग विलेख। 5 वें प्रत्यर्थी को उसके नाम पर एक वैकल्पिक आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए दिनांकित उक्त पत्र, उसके पक्ष में अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा जारी किए गए त्याग पत्र के आधार पर, श्री नाहर सिंह के संज्ञान में आया, जिन्होंने इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आपत्ति दर्ज की। 1-4 यह कहते हुए कि धन सिंह के अनन्य नाम पर वैकल्पिक भूखंड आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इसमें कहा गया था कि अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत त्याग पत्र धन सिंह द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। इसके बाद,

नाहर सिंह की मृत्यु 14.05.1993 पर हुई। इसके बाद उनकी विधवा और बच्चे उनके स्थान पर आ गए। इसके अलावा, शिकायत में यह कहा गया है कि इसके बाद, मूल वादी संख्या 1 ने अधिकारियों को इसी तरह के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए ताकि वे 5 वें प्रतिवादी के अनन्य नाम पर वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने से बच सकें। इसके बाद उन्होंने 14.06.2000 पर 2000 का सूट No.410 स्थापित किया। ये सभी अभिकथन विशेष रूप से उक्त शिकायत में किए गए हैं। इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाहर सिंह की चार बहनें जो मृतक राम नंद की कानूनी उत्तराधिकारी भी हैं, धन सिंह [2022] 13 एस. सी. आर. के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुईं।

(मुक़दमे में पाँचवाँ प्रतिवादी) और वस्तुतः, उन्हें उसमें प्रतिबादी बनाया गया था।

6. अभियोग के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि मुकदमा घोषणात्मक राहत के लिए शुरू किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहते हुए कि कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा धोखाधड़ी करके और खुद को मृतक राम नंद का एकमात्र और अनन्य उत्तराधिकारी होने का दावा करके वैकल्पिक भूखंड के लिए आवेदन किया गया था।

आवंटन के गलत आवेदन के लिए तारीखों की संख्या पर अभ्यावेदन किए गए थे।

इस तरह के कथनों के आधार पर यह घोषणा करने के लिए एक डिक्री के लिए अनुरोध किया गया था कि वादी सेक्टर 26, रोहिणी, नई दिल्ली (श्री राम नंद, एस/ओ भूपन की भूमि के स्थायी अधिग्रहण के बदले में आवंटित) में सूट प्लॉट No.13, टाइप ए-I के आवंटन में सह-मालिक हैं और

प्रतिवादी संख्या 5 सूट में उक्त आवासीय भूखंड का अनन्य आवंटित/मालिक नहीं है। आगे की राहत की मांग पूरी तरह से उपरोक्त घोषणात्मक राहत पर निर्भर है।

7. प्रतिवादी Nos.1,2 और 4 (प्रतिवादी संख्या। 1, 2 और 4) ने एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया और पांचवें प्रतिवादी ने इसे अलग से दायर किया। विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रकृति और विचार की प्रकृति को देखते हुए, जो हम करने का इरादा रखते हैं, उनके अभिवचनों में गहराई से विचार करना बिल्कुल अनावश्यक है।

8. विवादित फैसले के आधार पर, पर्याप्त प्रश्नों के बाद, हमारे सामने प्रतिद्वंद्वी दलीलें और तर्क आगे बढ़े

विचारः (क) क्या सीमा के मुद्दे को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV, नियम 2 (2) (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है?

(ख) क्या वादी के लिए आवेदन के आधार पर मुकदमा लाने के लिए 12 साल की सीमा की एक बड़ी अवधि उपलब्ध होगी -

सीमा अधिनियम, 1968 का अनुच्छेद 136 (संक्षेप में 'अधिनियम'), जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है और इस मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों में?

(ग) क्या अधिनियम के अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 65 को कोई आवेदन मिला,

जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा प्रतिवाद किया गया है, वाद अभिकथनों को ध्यान में रखते हुए, यदि अधिनियम का अनुच्छेद 136 लागू नहीं होता है?

सुखबीरी देवी और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [सी. टी. रविकुमार, जे.]

9. जैसा कि पहले प्रश्न से संबंधित है, अपीलार्थियों द्वारा दो गुनी दलीलें उठाई गई हैं। यह तर्क दिया जाता है कि सीमा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, आदेश XIV, नियम 2 (2) के तहत प्रावधानों को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया और अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया पाठ्यक्रम, कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि उस प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया जाना था तो इसे नियम 11, आदेश VII, सी. पी. सी. के तहत बनाया जाना चाहिए था और फिर, इसके परिणाम के अधीन,

सबसे बुरी बात यह है कि शिकायत को आदेश VII, सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (डी) के संदर्भ में खारिज किया जा सकता था।

10. की ओर से विरोध में उठाए गए विवाद

5 उत्तरदाता शब्दांशात्मक प्रतीत होता है। उनके अनुसार, वाद No.410/2000 की प्रकृति को घोषणात्मक वाद के रूप में निर्धारित करने के लिए मूलभूत तथ्य और एक घोषणात्मक वाद से संबंधित सीमा का प्रारंभिक बिंदु स्वयं वाद कथनों में उपलब्ध हैं। दूसरा प्रस्ताव यह है कि दिनांकित पंजीकृत त्याग विलेख के बारे में पता चलने के बावजूद 21.10.1985 , वादी श्री नाहर सिंह और/या वादी के हित में पूर्ववर्ती ने इस स्थिति को बनाए रखने के बावजूद कि इसे धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, इसे दरकिनार करने के लिए नागरिक उपचार का सहारा नहीं लिया। तीसरा प्रस्ताव यह है कि प्रत्यर्थी संख्या को बार-बार अभ्यावेदन या आवेदन। 1 4 से सीमा की अवधि का विस्तार नहीं होगा। पाँचवें प्रत्यर्थी के अनुसार मुकदमा उन पर सीमा द्वारा वर्जित था

11. विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, जैसे सी. नटराजन बनाम असीम बाई और Anr.², पोपट और कोटेचा संपत्ति बनाम भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन 3, दया सिंह और अन्र। बनाम एल. आर. द्वारा बलदेव सिंह (मृत)। & Ors.4, माउंट। बोलो बनाम माउंट। कोकलान्स और एमएसटी। रुखमाबाई बनाम लाला लक्ष्मीनारायण 'अपीलकर्ताओं ने अपनी बात रखने का प्रयास किया।

12. सी. नटराजन के मामले 2 और पोपट और कोटेचा में

संपत्ति के मामले 3 को आदेश VII, नियम 11 (डी), सी. पी. सी. द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जबकि उस मामले के विपरीत जहां प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आदेश VII, नियम 11 (डी) लागू होगा यदि वाद में कथन को अंकित मूल्य दिया जाता है और उन्हें पूरी तरह से सही माना जाता है। 2 (2007) 14 एससीसी 183

3 (2005) 7 एस. सी. सी. 510 4 (2010) 2 एससीसी 194

5 एयर 1930 पी. सी. 270 6 1960 (2) एससीआर 253 [2022] 13 एस. सी. आर.

ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी भी कानून द्वारा वर्जित है। इसके अलावा, यह माना गया था कि

यह मानते हुए कि न्यायालय बचाव पक्ष के मामले पर विचार करने का हकदार नहीं होगा।

13. माउंट में निर्णय में प्रिवी काउंसिल। बोलो के मामलों में कहा गया कि 'मुकदमा करने का अधिकार' तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुकदमे में दावा किए गए अधिकार का संचय और इसका उल्लंघन या कम से कम उस प्रतिवादी द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी न हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। दया सिंह के मामले 1 में सवाल घोषणा के लिए 'मुकदमा करने के अधिकार' के संबंध में था। यह न्यायालय, माउंट में निर्णय का उल्लेख करने के बाद। बोलो के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में केवल प्रतिकूल प्रविष्टि कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देगी और यह केवल तभी प्राप्त होगी जब मुकदमे में दिए गए अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या उस अधिकार का उल्लंघन करने का स्पष्ट और स्पष्ट खतरा होता है।

14. एमएसटी में। रुखमाबाई के मामले ", जिसमें एक विलेख को नकली घोषित करने के लिए एक मुकदमे में सीमा का सवाल शामिल है, इस अदालत ने माना

सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 120 के तहत सीमा का प्रश्न और यह अभिनिर्धारित किया कि 'मुकदमा करने का अधिकार' तब प्राप्त होगा जब प्रतिवादी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से मुकदमे में वादी द्वारा प्रतिपादित अधिकार का उल्लंघन करने की धमकी देगा। इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के अधिकार के लिए प्रत्येक धमकी उसे मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी के बराबर नहीं होगी और क्या कोई विशेष धमकी कार्रवाई के अनिवार्य कारण को जन्म देगी, यह इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या वह धमकी प्रभावी रूप से उक्त अधिकार पर आक्रमण करती है या खतरे में डालती है। यदि आगे विचार-विमर्श करने पर उपरोक्त निर्णयों के आलोक में मामले पर विचार करना अपरिहार्य हो जाता है, तो हम इस तरह की कवायद शुरू करेंगे।

15. अब, हम पहले प्रश्न पर विचार करेंगेः ' क्या सीमा के मुद्दे को आदेश XIV के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है,

नियम 2, सी. पी. सी. '। यह अब रेस इंटीग्रा नहीं है। मोंगिन रियल्टी एंड बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड बनाम माणिक सेठी "मामले के निर्णय में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों को सीमा के मुद्दे पर दलीलों को संबोधित करने का निर्देश देने के लिए अपनाई गई कार्रवाई अनियमित है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें साक्ष्य को जोड़ने की आवश्यकता थी, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नुस्ली नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख किया। इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि नुस्ली नेविल में निर्णय के अनुसार

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 156

8 3 [(2020) 6 एस. सी. सी. 557] सुखबीरी देवी और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [सी. टी. रविकुमार, जे.]

डाय के मामले, ऐसे मामले में जहां सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों पर किया जा सकता है, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता हैईआर XIV, नियम 2 (2) (बी), सीपीसी। , दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

उनके प्रभुत्त्व से पहले सीमा का सवाल नहीं हो सकता था

सी. पी. सी. के आदेश XIV, नियम 2 के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय लिया गया

उस मामले में सीमा का मुद्दा शुद्ध नहीं था

कानून का शासन। उक्त प्रासंगिक स्थिति में यह योग्य और उपयुक्त है।

पैराग्राफ 51, जहाँ तक यह प्रासंगिक है, और निर्णय के 52

उस्ली नेविल वाडिया के मामले और वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 51 . [.....] आदेश 14 नियम 1 के अनुसार, मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब कोई सामग्री

तथ्य या कानून के प्रस्ताव की पुष्टि एक पक्ष द्वारा की जाती है और अस्वीकार कर दिया जाता है

किसी अन्य पक्ष द्वारा अस्वीकार किया गया। तथ्यों और मुद्दों के मुद्दे हैं कानून। यदि विशिष्ट तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, और यह कानून का सवाल है

उत्पन्न होता है जो स्वीकृत तथ्यों के परिणाम पर निर्भर करता है, यह

स्वीकार किए जाने के आधार पर फैसला सुनाने के लिए अदालत के लिए खुला है

के प्रावधानों के तहत तथ्य और कानून का प्रारंभिक प्रश्न

आदेश 14 नियम 2. आदेश 14 नियम 2 (1) में, न्यायालय निर्णय ले सकता है -

प्रारंभिक मुद्दे पर मामला। इस पर फैसला सुनाना पड़ता है

सभी मुद्दे। आदेश 14 नियम 2 (2) एक प्रस्थान करता है और अदालत

उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा वाद के लिए बनाई गई बार, जैसे कि सीमा अधिनियम के तहत।

52. [...] एक मामले में, सीमा का प्रश्न इसके आधार पर तय किया जा सकता है - तथ्यों को स्वीकार करते हुए, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है

ऐसा कानून जारी करना जिसमें विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता हो। में। तथ्यों के रूप में विवाद का मामला, देने के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है

एक प्रारंभिक मुद्दा। एक मामले में, अधिकार क्षेत्र का सवाल भी उन तथ्यों के प्रमाण पर निर्भर करता है जो विवादित हैं और

कानून का सवाल जांच के परिणाम पर निर्भर करता है।

तथ्यों में से, कानून के ऐसे प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक रूप से नहीं किया जा सकता है। मुद्दा, या तो संशोधन से पहले कानून का निपटाया गया प्रस्ताव है

सी. पी. सी. और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद।

(जोर दिया गया)

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. नुस्ली नेविल वाडिया के मामलों में निर्णय से प्राप्त कानूनी स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित निर्णय भी मान लेते हैं

प्रासंगिकता। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में निर्णय में। बनाम रतनियो इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पक्ष द्वारा अभिवचनों में की गई स्वीकृति है

सबूत प्रोप्रियो वीगोर में स्वीकार्य। समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित कानून का सिद्धांत है कि एक पक्ष द्वारा अपनी दलीलों में की गई स्वीकारोक्ति उसके खिलाफ उचित तरीके से स्वीकार्य है (रंगनायकम्मा और अन्न में निर्णय देखें। बनाम। एल. आर. द्वारा के. एस. प्रकाश (मृत)। & Ors.[1] और विमल चंद घेवरचंद जैन और अन्य। बनाम रमाकांत एकनाथ जादू 1 1.

17. नुस्ली नेविल वाडिया के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 52 में "स्वीकृत तथ्य" अभिव्यक्ति के उपयोग के संदर्भ में और

'प्रवेश' शब्द ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी को नियोजित किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17,18 और 58 का संदर्भ अनुचित नहीं होगा। उक्त प्रावधान के एक संयुक्त पठन से पता चलेगा कि कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा 'बयान' स्वीकार किए जाते हैं और स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

18. हमने उक्त प्रावधानों और निर्णयों का उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए किया कि अपीलार्थियों का कानूनी रूप से कोई विवाद या विवाद नहीं हो सकता है।

सी. पी. सी. के आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी) के आवेदन के उद्देश्य के लिए सीमा के प्रारंभिक बिंदु को निर्धारित करने में सक्षम वाद में उनके बयान लेने में शिकायत। हालांकि, सीमा कानून और तथ्यों का एक मिश्रित सवाल है, यह उक्त चरित्र को हटा देगा और सीमित हो जाएगा कानून के प्रश्न में से एक जब सीमा के प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण करने वाले मूलभूत तथ्य (ओं) को स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से वाद अभिकथनों में बनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में, यदि संबंधित न्यायालय की राय है कि सीमा को एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में तैयार किया जा सकता है और वह उस मुद्दे के निर्धारण तक अन्य मुद्दों के समाधान को स्थगित करने का वारंट देता है, तो वह इसे एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार कर सकता है और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार ही मुकदमे से निपट सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह का दृष्टिकोण कानून में अस्वीकार्य है और वास्तव में, यह आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी), सी. पी. सी. के तहत पूरी तरह से अनुमेय है और ऐसी परिस्थितियों में कानूनी है। संक्षेप में, ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि मुद्दे की सीमा को आदेश XIV, नियम 2 (2) (बी), सी. पी. सी. के तहत एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार और निर्धारित किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किए गए तथ्यों पर तय किया जा सकता है।

' [(2009) 2 एस. सी. सी. 75] 10 [(2008) 15 एस. सी. सी. 673] 11 [(2009) 5 एस. सी. सी. 713] सुखबरी देवी और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [सी. टी. रविकुमार, जे.]19. उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ अब हम इस प्रश्न का उत्तर देने की दृष्टि से कि क्या निर्दिष्ट निर्णय प्रथम अपीलीय न्यायालय की पुष्टि करता है, सीमा के बताए गए प्रारंभिक पर विचारण न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों पर विचार करेंगे, जो बदले में,

विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की आवश्यकता है

ध्यान दें। इस संबंध में केवल निम्नलिखित का उल्लेख करना उचित है।

अभियोग अभिकथनों वाले विचारण न्यायालय के निर्णय से

सीमा के प्रारंभिक बिंदु पर और प्रारंभिक पर निष्कर्ष भी

" वादी के पैरा 8 में किए गए अभिकथनों के अनुसार स्वयं वादी ने उल्लेख किया है कि उनके पूर्ववर्ती ने प्रतिवादी संख्या के साथ हित में उल्लेख किया है। 6 9 ने प्रतिवादी सं. के पक्ष में त्याग विलेख निष्पादित किया था। 5. हालाँकि उन्होंने यह भी दलील दी है कि वही प्राप्त किया गया था प्रतिवादी नं। 5 एम. सी. डी. अभिलेखों में आवासीय घर के उत्परिवर्तन के बहाने धोखाधड़ी करके। उक्त पैरा में किए गए इस तरह के कथन यह दर्शाते हैं कि Ld। वादी के हित में पूर्ववर्ती इसके निष्पादन की तारीख से पंजीकृत रिहाई विलेख के निष्पादन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही यह माना जाए कि प्रतिवादी नहीं। 5 वादी के हित में पूर्ववर्ती के साथ धोखाधड़ी की थी और उक्त धोखाधड़ी हुई थी श्री के ज्ञान के लिए। नाहर सिंह दिनांकित पत्र के माध्यम से। 8.3.1991 तब उक्त त्याग विलेख को शून्य और शून्य के रूप में मांगने के लिए सीमा की अवधि उक्त तिथि यानी 8.3.1991 से शुरू हुई। इसका कारण यह है कि वादी इस आशय की घोषणा की मांग कर रहे हैं कि वे वाद भूखंड के सह-मालिक हैं और प्रतिवादी नं। 5 वह इसका अनन्य स्वामी नहीं है। उक्त राहत अदालत द्वारा केवल तभी दी जा सकती है जब दिनांकित त्याग विलेख अवैध और अमान्य माना जाता है और उन पर बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक और जब तक उक्त त्याग विलेख को अवैध नहीं माना जाता है और निष्पादकों पर बाध्यकारी नहीं माना जाता है, तब तक वादी को प्रतिवादी सं. 5 9 तक। इसलिए, वादी अप्रत्यक्ष रूप से दिनांकित 21.10.1985 के विमोचन विलेख को रद्द करने के संबंध में घोषणा की भी मांग कर रहे हैं, जिस पर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है और जो

माना जा सकता है कि यह तथ्य 8/3/1991 पर उनके संज्ञान में आया था। वादी श्री के माध्यम से अपने खिताब का दावा कर रहे हैं। नाहर सिंह मृतक श्री के कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक हैं। राम नंद। एक बार एस. नाहर सिंह को रिहाई विलेख की धोखाधड़ी और अवैधता के बारे में पता चला कि सीमा की अवधि रद्द करने की उक्त तिथि और [2022] 13 एस. सी. आर. से चलने लगी।

श्री की मृत्यु के बारे में केवल तथ्य। नाहर सिंह ने एक बार शुरू होने के बाद सीमा की अवधि को नहीं रोका। याचिकाकर्ताओं ने

श्री के जूतों में कदम रखा। नाहर सिंह और इसलिए, उन्हें कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर रिहाई विलेख को चुनौती देने की आवश्यकता थी। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन रिहाई विलेख को चुनौती देने वाली घोषणा के लिए ऐसा मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख से तीन साल है, जो वर्तमान मामले में राय में उत्पन्न हुई है। न्यायालय का, 8/3/1991 पर जब श्री. नाहर सिंह को प्रतिवादी नं. द्वारा की जा रही कथित धोखाधड़ी के बारे में पता चला। 5 उन पर प्रतिवादियों के साथ नहीं। 6 9 तक। वर्तमान मुकदमा केवल 14.6.2000 पर दायर किया गया है, इसलिए वर्तमान मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। इसलिए, अदालत की ओर से उठाई गई दलीलों में योग्यता पाई जाती है

प्रतिवादियों का कहना है कि वर्तमान मुकदमा सीमित होने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं है। वादियों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि समय-समय पर वादियों द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे थे और इन सभी अवधि के दौरान सीमा की अवधि जारी थी, बिना किसी योग्यता के है क्योंकि केवल अधिकारियों के साथ वादी की ओर से अभ्यावेदन भेजना है।

सीमा अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता है। वादी ने सीमा की पूरी अवधि के दौरान अपने अधिकार पर ध्यान दिया और इसलिए उन्हें यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वर्तमान मुकदमा विभागों के साथ अभ्यावेदन भेजने के कारण सीमा की अवधि के भीतर है।

अतः, इन सभी कारणों से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान वाद सीमा द्वारा वर्जित है। तदनुसार, वादी के खिलाफ मुद्दे का फैसला किया जाता है।

20. उपर्युक्त मुद्दों और वापस किए गए निष्कर्षों के साथ आगे बढ़ने से पहले, सीमा के अनुच्छेद 136 की प्रयोज्यता के संबंध में अपीलार्थियों के तर्क पर विचार करना ही उचित है।

एक्ट करें। हमारे अनुसार, विवाद अनुचित है। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अवलोकन से इस निर्विवाद स्थिति का पता चलेगा कि

यह केवल तभी लागू होता है जब किसी डिक्री (अनिवार्य निषेधाज्ञा देने वाले डिक्री के अलावा) या किसी सिविल कोर्ट के आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन दायर किया जाना हो। (बीकोबा देवड़ा गायकवाड़ और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय देखें। बनाम हीराबाई मरुतिराव घोरगरे और Ors.[1][2]

21. तत्काल सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 136 को लागू करने के लिए ऐसा चरण नहीं पहुंचा था और इसमें शामिल प्रश्न यह है - केवल कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए समय प्रतिबंध से संबंधित

12 1 2 (2008) 8 एस. सी. सी. 198 सुखबीरी देवी और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [सी. टी. रविकुमार, जे.]

उक्त त्याग विलेख के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए सीमा के प्रश्न पर अपरिहार्य, प्रतिकूल निष्कर्ष से वादी। जाहिर है, 2000 का मुकदमा No.410 केवल 14.06.2000 पर दायर किया गया था। इस प्रकार, वाद अभिकथनों से यह बहुत स्पष्ट है कि त्याग विलेख 5 वें प्रत्यर्थी (08.03.1991) को सूचना पत्र की तारीख से पूर्ववर्ती है और जाहिर है, इसके खिलाफ आपत्ति की तारीख को सबसे पहले मृतक नाहर सिंह ने प्राथमिकता दी थी। , 05.04.1991 . स्पष्ट रूप से, वाद में विशेष रूप से उल्लिखित उपरोक्त दो तिथियों को विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रश्न पर विचार करने के मामले में ध्यान में रखा गया था कि क्या वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचार करने का तरीका, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मुकदमा No.410/2000 खारिज हो गया, प्रकट होगा, जैसा कि कहा गया है। इससे पहले, कि उसने वाद में किए गए अभिकथनों के संदर्भ में सीमा की अवधि के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे का निर्धारण किया था। मुकदमे को खारिज करना उक्त प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार था। चूँकि हम पहले ही विचारण न्यायालय के निर्णय के कार्यात्मक भाग को निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसके कारणों और निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

2] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर आते हुए, जिसके द्वारा उसने वादियों की अपीलों को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की, यह स्पष्ट है कि उसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न दलीलों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया था। निर्णय से पता चलेगा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, मुकदमे के समक्ष असफल रूप से उठाए गए तर्कों को दोहराने के अलावा अदालत, उसमें अपीलकर्ताओं/वादियों ने नरिंदर कौर और अन्न के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था। बनाम अमर जीत सिंह सेठी और

कि त्याग विलेख धोखाधड़ी से 5 वें द्वारा प्राप्त किया गया था प्रतिवादी, वादी ने हमला करने और इसे अलग करने की मांग करने का विकल्प नहीं चुना था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रद्द करने की मांग के बाद भी

पूर्ववर्ती ने अपने जीवनकाल के दौरान एक सक्षम दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाकर इसे दरकिनार करने का विकल्प नहीं चुना था। 14.05.1993 पर उनकी मृत्यु पर,

हालांकि इसे अलग करने की मांग के लिए सीमा की अवधि को गिरफ्तार नहीं किया गया और नाहर सिंह के स्थान पर कदम रखने वाले वादियों के खिलाफ चला गया, उनमें से कोई भी दीवानी याचिका दायर करके इसे अलग करने की कोशिश नहीं करता है। न्यायालय, सीमा अवधि के भीतर। इस अपील में दलीलों और आगे की गई दलीलों से पता चलता है कि आज तक इस तरह के अनुरोध के साथ मूल वादी और इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा कोई सक्षम दीवानी अदालत नहीं चलाई गई थी। संक्षेप में, एक उचित कार्यवाही में उचित अनुरोध करके उक्त त्याग विलेख की वैधता के खिलाफ किसी भी सफल चुनौती के अभाव में, और वह भी सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष और निष्कर्ष को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विकृत या अवैध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि त्याग विलेख की वैधता पर विचार करना और उसी के संदर्भ में सीमा की अवधि पर विचार करना अलग और विशिष्ट है।

24. यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स पर भरोसा करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से एक और तर्क उठाया गया था

क्रेसेंट पेट्रोलियम लिमिटेड बनाम। एम. वी. मोंचेगोर्स्क & Ors.[1]4 कि

13 [2000 III ए. डी. (दिल्ली), 599] 14 [ए. आई. आर. 2000 बॉम्बे 161] सुखी देवी और ओ. आर. एस.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [सी. टी. रविकुमार, जे.]

कार्रवाई के कारण के अभाव के आधार पर मुकदमे को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग अदालतों द्वारा संयम और सावधानी से किया जाएगा और संदेह का लाभ वादी को दिया जाना चाहिए। इस तर्क को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि मामले में प्रश्न कार्रवाई के कारण के अभाव के आधार पर बर्खास्तगी का नहीं था। लेकिन, सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर, मुकदमे की प्रकृति को घोषणात्मक माना जाता है।

25. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के खिलाफ चुनौती यह है कि उसने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 को गलत तरीके से लागू किया, जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णयों की पुष्टि करना और

ट्रायल कोर्ट। इस संदर्भ में, वादी द्वारा मुकदमे में की गई प्रार्थनाओं पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो पहले यहाँ निकाली गई थीं। निस्संदेह, वादियों ने ऊपर निर्दिष्ट तरीके से घोषणाओं की मांग की और इस प्रकार, मुकदमे की प्रकृति को घोषणात्मक बना दिया। यह स्थिति निर्विवाद है। यह सच है कि निचली अदालत ने हालांकि राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीमा की अवधि को तीन साल पाया

अपने निर्णय में प्रासंगिक प्रावधान का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी प्रावधान को गलत तरीके से उद्धृत करने या उद्धृत न करने से आदेश तब तक खराब नहीं होगा जब तक कि प्रासंगिक सक्षम प्रावधान मौजूद है और इसे सही तरीके से लागू किया गया था, हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख किए बिना। उच्च न्यायालय ने वाद की प्रकृति और शिकायत में मांगी गई राहत पर विचार करने पर केवल सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक, लागू प्रावधान का उल्लेख किया था। हम इस मुद्दे के संबंध में समवर्ती निष्कर्षों को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में कोई विकृति या अवैधता नहीं पाते हैं कि क्या मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित था।

26. सूट No.410/2000 में मांगी गई राहत से पता चलता है कि पहली प्रार्थना, जो मुख्य प्रार्थना है, प्रकृति में घोषणात्मक है। यहाँ तक कि वादियों के अनुसार, जैसा कि वाद से पता चलता है कि दूसरी प्रार्थना (यहाँ पहले निकाली गई) केवल परिणामी राहत है। उसी के अवलोकन से निस्संदेह पता चलेगा कि यह परिणामी है और स्वतंत्र नहीं है और इसलिए नीचे दिए गए न्यायालयों का यह मानना सही है कि उक्त प्रार्थना केवल तभी मंजूर की जाती है जब पहली प्रार्थना दी जाती है। इस मामले में सीमा के प्रारंभिक मुद्दे पर निर्धारण के आधार पर और उस प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था। जैसा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नुस्ली नेविल वाडिया के मामले (उपरोक्त) में निर्णय में आदेश XIV नियम 2 (1) और नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रावधानों को [2022] 13 एस. सी. आर. में एक मुकदमे से निपटने और निपटाने की अनुमति दी है।

प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय के अनुसार। प्रारंभिक मुद्दे पर निष्कर्ष की प्रकृति और आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के संदर्भ में मुकदमे के परिणामी विचार को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मुकदमा ऐसे मामले के बाद जीवित नहीं रहता है।

विचार करने पर हमें आदेश VII नियम 11 के संदर्भ में अपीलार्थियों के तर्क पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जो उनके द्वारा किए गए निर्णयों पर आधारित है और जिनका उल्लेख पहले किया गया था। इसी प्रकार, अनुच्छेद 17 और 65 पर आधारित अपीलार्थियों की दलीलें भी महत्वहीन हो जाएंगी और परिस्थितियों में इस पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए।

27. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के आह्वान में हस्तक्षेप की गारंटी। परिणामस्वरूप, अपील खारिज कर दी जाती है

लागतें।

28. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)